निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 40/2024
दायरा दिनांकः—12.08.2024
निर्णय दिनांकः— 28.7.25

उनवान

1. कल्लु लोधा आयु 39 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति लोधा निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

2. सम्पत बाई आयु 60 वर्ष पत्नि रामकिशन जाति लोधा निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 28.7.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री उमाशंकर गोस्वामी – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खसस न. 815 रकबा 1.0117 हैक्टेयर वाके ग्राम शंकर कॉलोनी छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है। उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है जो प्रार्थीगण कम 1 के पिता एवं प्रार्थीया कम 2 के पति के नाम जगाबन्दी रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के दादा/ससुर का स्वर्गवास होने के बाद जो इंतकाल खोला गया उसमें प्रार्थीगण के दादा ससुर का नाम रामकिशन के पिता मांगीलाल के स्थान पर गंगोल्या कर दिया है। जबकि प्रार्थीगण के दादा/ससुर रामकिशन के पिता का वास्तविक नाम मांगीलाल है, प्रार्थीगण के दादा/ससुर का नाम राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण—पत्र में मांगीलाल नाम दर्ज है, एवं जमाबन्दी में मांगीलाल के स्थान पर गंगोल्या दर्ज हो गया है जिसको गंगोल्या के स्थान पर मांगीलाल करवाया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। प्रार्थीगण के दादा/ससुर का इंतकाल दिनांक 06.06.2022

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

हो गया है जिसका फौती इंतकाल खुलवाने के लिए प्रार्थीगण पटवारी हल्का के पास गये तो हल्का पटवारी ने नाम गलत होने से फौती इंतकाल खोलने से मना कर दिया। प्रार्थीगण के दादा/ससुर का नाम सहवन रेवन्यु कर्मचारियों द्वारा मांगीलाल के स्थान पर गंगोल्या दर्ज कर दिया है यह गलती रेवन्यु कर्मचारी द्वारा हुई है प्रार्थीगण के दादा/ससुर का नाम गलत होने से प्रार्थीगण को काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है और फौती इंतकाल भी नहीं खुल पा रहा है प्रार्थीगण के दादा/ससुर का नाम जमाबन्दी में गलत होने से जमीन का विकास करने के लिए प्रार्थीगण को बैंक आदि में किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं मिल पा रहा है। प्रार्थीगण अपने दादा ससुर का नाम शुद्ध करवाना चाहते है कि प्रार्थीगण को किसी प्रकार के कार्य करने में नाम की वजह से परेशानी नहीं है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम शंकर कॉलोनी तहसील छबड़ा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 62 मृत्यु प्रमाण पत्र रामकिशन, आधार कार्ड, आधार कार्ड सम्पत बाई आधार कार्ड रामकिशन, मतदाता पहचान पत्र रामकिशन पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम शंकर कॉलोनी तहसील छबडा में स्थित है उक्त आराजी प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की है प्रार्थी के दादा का फोती नामान्तरण खोला गया। उसमें प्रार्थी के दादा का नाम रामकिशन के पिता मांगीलाल के स्थान पर गंगोल्या कर दिया जबकि प्रार्थीगण के दादा/ससुर रामकिशन कें पिता का वास्तविक नाम मांगीलाल है प्रार्थी के दादा का नाम राशन कार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र राशन कार्ड में मांगीलाल नाम दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में मांगीलाल के स्थान पर गंगोल्या दर्ज हो गया है प्रार्थी गंगोल्या के स्थान पर मांगीलाल दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी के दादा का स्वर्गवास हो गया है जिसका फोती नामान्तरण खोलतें में काफी दिक्कतो का सामना करना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के दादा कका नाम गंगोल्या के स्थान पर मांगीलाल दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीगण की शामलाती कब्जे काश्त की भूमि ग्राम चांचोडा में खसरा नम्बर 306 रकबा 0.0759 है खसरा नम्बर 510 रकबा 0.0253 है0 खसरा नम्बर 924 रकबा 0.8094 है0 कुल किता 3 रकबा 0.9106 है खसरा नम्बर 990 रकबा 3.4145 है0 एवं ग्राम शंकर कॉलोनी में खसरा नम्बर 815 रकबा 1.0117 है0 दर्ज जमाबन्दी है प्रार्थीगण के दादा/ससुर का नाम वर्तमान जमाबन्दी में गंगोल्या दर्ज है व राशन कार्ड मृत्यु प्रमाण, पत्र में मांगीलाल दर्ज है प्रार्थीगण गंगोल्या के स्थान पर मांगीलाल दर्ज करवाना चाहतें है जो अनुचित है ग्राम चांचौडा की सेटलमेन्ट जमाबन्दी की जांच की गई। जिसमें पाया कि खसरा नम्बर 306 रकबा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 510 रकबा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 815 रकबा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 924 रकबा 3.07 बीघा खसरा नम्बर 976 रकबा 5.03 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रा नम्बर 990 रकबा 13.10 बीघा कुल किता 6 रकबा 26.05 बीघा दर्ज है जिसमें र्थीगण के गंगोलिया मंगोलिया, धुल्या पाच्या पुत्र धनजी जाति लोधा दर्ज है सेटलमेन्ट 2012 की जमाबन्दी से जमाबन्दी सम्वत् 2026–29 तक गंगोलिया दर्ज रहा तथा जमाबन्दी सम्वत् 2030–33 में सहवन से उक्त नाम गंगोल्या मंगोल्या दर्ज हो गया। नामान्तरण संख्या 216 दिनांक 26.10.1977 से मंगोल्या पुत्र धनजी का फोती नामान्तरण दर्ज हुआ जिसमें वारिस रामकिशन पुत्र मंगोल्या पुत्र धनजी का फोती नामान्तरण दर्ज हुआ जिसमें वारिस रामकिशन पुत्र गंगोल्या दर्ज हुआ जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 में रामकिशन पुत्र मंगोलिया दर्ज हो गया जो नाम सम्वत् 2038–41 तक रामकिशन पुत्र मंगोलिया दर्ज हो रहा जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 में सहवन से रामकिशन पुत्र गंगोल्या दर्ज हो गया जो वर्तमान जमाबन्दी तक दर्ज चला आ रहा है। सेटलमेन्ट जमाबन्दी 2012 अनुसार प्रार्थीगण के दादा/ससुर का नाम गंगोल्या के स्थान पर मंगोलिया दर्ज किया जाना उचित होना बताया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम शंकर कॉलोनी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 62 में प्रार्थी के दादा का नाम गंगोल्या दर्ज है मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2022 में रामकिशन पुत्र मांगीलाल उर्फ मंगोलिया दर्ज है आधार कार्ड, कल्लु पुत्र रामकिशन, सम्पत बाई पत्नि रामकिशन, आधार कार्ड में रामकिशन पुत्र मांगीलाल, पहचान पत्र में रामकिशन पुत्र मांगीलाल दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत में प्रार्थी के दादा का नाम मांगीलाल उर्फ मंगोलिया दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रामकिशन पुत्र गंगोल्या दर्ज है रामकिशन की मृत्यु हो चुकी है प्रार्थी द्वारा गंगोलिया एवं मांगीलाल एक ही व्यक्ति है यह साबित नही किया गया है इसके लिए प्रार्थीगण को साक्ष्य व सबूत पेश कर साबित करना चाहिये था धारा 136 एल.आर.एक्ट एक समरी प्रकिया है जिससे रिकार्ड में हुई त्रृटि को सुधार किया जा सकता है परन्तु इस प्रकरण में चाहे गये अनुतोष धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत अनुज्ञेय नही है अतः प्रकरण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा